न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 40/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/65

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

प्रार्थी:
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थी:
1. कानाराम पुत्र माधुराम जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
2. गोपाल पुत्र माधुराम जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
3. सीता देवी पत्नी भंवर लाल जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
4. प्रदीप कुमार पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
5. जितेन्द्र पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
6. पुजा पुत्री भंवर लाल जाति मीणा निवासी मीणा का मौहल्ला, देवीली कलां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार नावां

–ःआदेशः–

दिनांकः 21.05.2024

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि:–

1. मौजा ग्राम कंचनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 810 [illegible] बा [illegible] हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम भूमि अप्रार्थी कानाराम पुत्र माधुराम [illegible] मीणा, गोपाल पत्र माधुराम जाति मीणा, भंवर ला[illegible] पुत्र माधुराम जाति मीणा, निवासी देवली कलां [illegible] अधिकारी नावां के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

आदेश क्रमांक / राजस्व / 03 / 296–98 दिनांक 15.02.2003 के द्वारा संलिग से अवाप्त शुद्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था जिसका नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.08.2003 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.02.2003 से सम्बंधित मूल आदेश एवं रेकर्ड बार–बार तलाशी ली गई परन्तु उक्त आदेश एवं रेकर्ड नहीं मिलने पर आदेश क्रमांक भु.अ. / 2021 / 4075 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा कार्मिक की टीम का गठन कर उक्त आदेश एवं रेकर्ड की तलाश करवाई गई परन्तु उक्त आदेश एवं रेकर्ड बावजुद तलाशी से भी मिलना नहीं पाया गया और अब उक्त आदेश एवं रेकर्ड मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

2. गैर खातेदार शैतान पुत्र माधु राम जाति मीणा निवासी देवली कला की मृत्यु हो चुकी है जो अविवाहित था जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है अतः जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है।
3. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 15.02.2003 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भु–भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की हैं, जो खसरा गिरदवारी संवत 2062–71, 2073–75, 2077–78 में कास्त की गई है जो गैर खातेदारान द्वारा नहीं की जा कर अन्य कास्तकारों द्वारा की गई है जिसका गैर खातेदारान से कोई रक्त सम्बंध नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
5. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है
6. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की हैं।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 15.04.2003 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को [illegible] से तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद तामील के न्या[illegible] दिनांक 12.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] लाई गइ।

बहस के तर्को पर [illegible] किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार [illegible] आराजी नं0 810 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

2.32 हैक्टर अप्रार्थी कानाराम, गोपाल पुत्रगण भंवरलाल व सीतादेवी पत्नी भंवरलाल, प्रदीप कुमार, जितेन्द्र, पुजा पुत्र/पुत्री भंवरलाल को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम कंचनपुरा सम्वत् 2073–76 अनुसार खसरा नम्बर 810 रकबा 2.32 हैक्टयर किस्म जमीन चाही–1 अप्रार्थी कानाराम, गोपाल पुत्रगण भंवरलाल व सीतादेवी पत्नी भंवरलाल, प्रदीप कुमार, जितेन्द्र, पुजा पुत्र/पुत्री भंवरलाल सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कंचनपुरा के खसरा सं0 810 रकबा 2.32 हैक्टयर किस्म चाही–1 गैर खातेदार कानाराम, गोपाल पुत्रगण माधुराम व सीतादेवी पत्नी भंवरलाल, प्रदीप कुमार, जितेन्द्र, पुजा पुत्र/पुत्री भंवरलाल आज दिनांक तक काबिज नहीं है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062–71, 2073–75, 2077–78 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है।

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार/नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट लैण्ड) 1970 के नियम 04 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को भूमि पर काश्त करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काश्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी कानाराम, गोपाल पुत्रगण माधुराम व सीतादेवी पत्नी भंवरलाल, प्रदीप कुमार, जितेन्द्र, पुजा पुत्र/पुत्री भंवरलाल को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा कंचनपुरा के खसरा नम्बर 810 रकबा 2.32 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21.05.2024 को स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन